संख्या-6/2025/273/001-53-2099-1166-2019-10(बजट)/17

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-01/वित्त सम्भाग-3/नि0प्रशा0 बजट आवं0/2025-26, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं में प्राविधानित धनराशि रू0 4055.97 लाख(रूपये चालीस करोड पचपन लाख सत्तानबे हजार मात्र) के व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि को आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। धनराशि का व्यय निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जाय।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मानक मदों में व्ययोपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2404000010300 (सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	01 वेतन	23,33,98,000 (रुपये तेईस करोड़ तैंतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
2	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	03 मंहगाई भत्ता	14,00,39,000 (रुपये चौदह करोड़ उनतालीस हजार मात्र)
3	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
5	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	08 कार्यालय व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
7	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	09 विद्युत देय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
14	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
15	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
17	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
18	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
20	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
21	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	49 चिकित्सा व्यय	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)
22	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
23	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	55 मकान किराया भत्ता	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				मात्र)
24	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
कुल			**40,55,97,000** **(रुपये चालीस करोड़ पचपन लाख सत्तानबे हजार मात्र)**	
महायोग			40,55,97,000 (रुपये चालीस करोड़ पचपन लाख सत्तानबे हजार मात्र)	

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव

संख्या- 6 /2025/273(1)/001-53-2099-1166-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।